बिजली चोरी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 9–10 को स्पेशल लोक अदालत

अदालत परिसर में कर सकेंगे सेटल्ड बिल का भुगतान और नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी

- बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए 9–10 फरवरी को होगा लोक अदालत का आयोजन
- बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए 9 फरवरी को आयोजित की जाएगी लोक अदालत

नई दिल्लीः 7 फरवरी। बिजली चोरी मामलों के त्वरित निपटारे के लिए बीएसईएस एक स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रही है। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया जा रहा है।

बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए 9 और 10 फरवरी, यानी इसी हफ्ते के शनिवार और रविवार को जिला न्यायालय कड़कड़डूमा व आईटीओ स्थित पीएलए बिल्डिंग में लोक अदालत लगाई जाएगी। वहीं, बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए 9 फरवरी, यानी शनिवार को, जिला न्यायालय साकेत व द्वारका में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी–– दोनों तरह के मामलों का निपटारा इन अदालतों में किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां किया जाएगा और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है। ये अदालतें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेंगी।

बिजली चोरी मामलों के निपटारे के बाद उपभोक्ता अपने सेटल्ड/फाइनल बिल का वहीं पर भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कैश काउंटर की व्यस्था होगी। यही नहीं, भुगतान के बाद वे अदालत परिसर में ही बिजली के नए कनेक्शन/ री कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे, बीएसईएस के निर्धारित ऑफिसों में भी तय रकम का भुगतान किया जा सकता है। सेटल्ड रकम के भुगतान के बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाएगा।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे यहां खुद आ सकते हैं, या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। उन्हें उनका आईडी प्रूफ और बिजली चोरी वाले बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी।

बीआरपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं– नजफगढ़, मुंडका, जाफरपुर, साकेत और सरिता विहार। वहीं, बीवाईपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं– दरियागंज, पहाड़गंज, जीटी रोड, नंद नगरी और यमुना विहार। लोक अदालत से संबंधित करीब 14,000 पत्र/ नोटिस उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को भेजे गए हैं।

उपभोक्ताओं के बिजली चोरी मामलों के निपटारे के लिए यह आखिरी अवसर है। यदि वह इसमें डिफॉल्ट करते हैं, तो कंपनी उनके खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के प्रावधानों के मुताबिक, आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होगी।

लोक अदालत के आयोजन के बारे में उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए पत्र/ नोटिस भेजने के अलावा, बैनर, मुनादी, एसएमएस, वॉट्सऐप और ईमेल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा जा रहा है। लोकप्रिय एफएम चैनलों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

यह लोक अदालत, दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीआरपीएल उपभोक्ताओं, तथा पूर्वी व मध्य दिल्ली में रहने वाले बीवाईपीएल उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को एक, वन–टाइम अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके।

बीएसईएस प्रवक्ता के मुताबिक, उपभोक्ताओं की ओर से भारी मांग को देखते हुए इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कई उपभोक्ता, फिर से लोक अदालत लगाने का अनुरोध कर रहे थे। लोक अदालत में कम–से–कम समय में बिजली चोरी के अधिक–से–अधिक मामलों को निपटाने में मदद मिलेगी। इसके लिए बीएसईएस की ओर से अलग से हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं और वहां प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है, ताकि बिना किसी परेशानी के उपभोक्ताओं के मामलों को हल किया जा सके।

प्रवक्ता ने बताया कि मामलों के सेट्लमेंट के बाद उपभोक्ताओं को उनके बिल भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। वहां पर कैश काउंटर्स भी होंगे, जहां उपभोक्ता अपने सेटल्ड रकम का भुगतान तत्काल कर सकते हैं। वे बीआरपीएल/बीवाईपवीएल के निर्धारित ऑफिसों में भी भुगतान कर सकते हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।

———